सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

विविध प्रार्थना पत्र सं0 08/2016

1. दयालचन्द पुत्र भैराराम जाति सोनी निवासी सुभाष मार्केट, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार

उपस्थित : श्री तेजासिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी।
राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0

आदेश   दिनांक : 06.02.2018

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2003 को निर्णय पारित कर भूमिधारी की 248 बीघा 3 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की थी। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.06.2006 को अदालतवाला का अधिग्रहण का आदेश निरस्त कर दिया। आज के दिन विवादग्रस्त भूमि रकबा राज नहीं है इसलिए न्यायहित में भूमि का कब्जा वापिस दिया जाना इन्साफ की दृष्टि में आवश्यक है। चक 29 जीबीए प0नं0 183/410 मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 10 की 2.304 हैक्टर का कब्जा दिनांक 21.04.2003 की पालना में तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा दिनांक 28.03.2004 को ले लिया था। ये आदेश राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 06.06.2006 को निरस्त कर दिया है। आज के दिन कोई रकबा खारिज नहीं है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण को प0 नं0 183/410 मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 10 की 2.304 हैक्टर का कब्जा वापिस देकर इंतकाल दर्ज किए जाने इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक है। अतः दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 29 जीबी(ए) मुरब्बा नम्बर 20 के 2.304 हैक्टर भूमि का कब्जा राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की पालना में वापिस दिया जाकर इंतकाल दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। राजकीय अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र की प्रति दिलवाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 06.06.2006 उनके पक्ष में हो

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

चुका है तथा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.04.2003 जिसके द्वारा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक घोषित की गई थी, को निरस्त कर दिया गया है। बहस में यह भी बताया है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन नहीं है। अतः माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय की पालना में प्रार्थीगण की चक 29 जीबी(ए) प0नं0 183/410 मुरब्बा नम्बर 20 के 2.304 हैक्टर जमीन का कब्जा वापिस देकर इंतकाल प्रार्थीगण के नाम दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करें। अधिवक्ता प्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में नजीर पेश की है:-

1. आर.आर.डी. वर्ष 1989 पेज-104

SHRI C-S- GOYAL : MEMBER
Gopal Singh V. State of Raj-[50]
Civil Procedure Code, Section 144-Order dt. 17.05.1982 in ceiling proceedings for tasking over 'excess land, set aside by Board on 3-6-83 and case , remanded- Meanwhile excess land taken over and allotments made –legal representatives of assessee proceeded against u/s 91excess land, set aside by Board on 3-6-83 and case , remanded- Meanwhile excess land taken over and allotments made –legal representatives of assessee proceeded against u/s 91 [3], Land Revenue Act and penalty, imposed-Held that With the setting aside of the Collector's order by Board , **Petitioners had become entitled to restitution and to be placed in same Position as obtaining before order dt. 17-05-82 –He could Not be treated as trespasser- Orders imposing penalty, quashed [Para-4]**

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय से इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.04.2003 निरस्त हो चुका है, जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया गया था। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 06.06.2006 के विधिक परीक्षण के उपरांत रिट दायर करने के लिए तहसीलदार श्री विजयनगर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसलिए स्टेट के हित को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित होने वाले भावी निर्णय के अध्यधीन इस आदेश को रखा जाना चाहिये। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी0पी0सी0 को स्वीकार करने में राजकीय अधिवक्ता द्वारा कोई आपति जाहिर नहीं की गई है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि सीलिंग प्रकरण सं0 03/1998 अनवान सरकार बनाम माधुरी वगैरा के विधिक उतराधिकारीगण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2003 को निर्णय पारित कर मुरब्बा नम्बर 20 के 2.304 हैक्टर भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे। इस आदेश की पालना में कब्जा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर दिनांक 28.04.2003 के कम में कब्जा लिया गया जिसका इन्तकाल सख्या 161 दिनांक 28.04.2003 मुरब्बा नम्बर 20 प0न0 183/410 के किला नम्बर 1 ता 10 में 2.304 हैक्टर न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 25.04.2003 को आराजी राज

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

स्वीकृत किया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2003 को अप्रार्थी दयालचन्द द्वारा माननीय राजस्व मण्डल , अजमेर में चुनौती दी गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.06.2006 से अपील स्वीकार करते हुए भूमि सीलिंग सीमा से कम मानी गई व इस न्यायलय का निर्णय दिनांक 21.04.2003 निरस्त कर अपीलार्थी के वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उपरोक्त हस्तान्तरण सदभावी है अथवा नही इसकी विस्तृत जांच कर तथा राज्य सरकार भूमिधारी एवं ट्रान्सफरीज को सुनकर स्पष्ट निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 06.06.2006 पर कोई स्थगन हो, ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। चूँकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर का अपील में निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि इस न्यायालय का आदेश/निर्णय निरस्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन अभिलेख पर नहीं है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी निर्णय की पालना किये जाने में कोई आपति जाहिर नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक इन्तकाल सख्या 161 दिनांक 28.03.2004 मुरब्बा नम्बर 20 प0न0 183/410 के किला नम्बर 1 ता 10 में 2.304 हैक्टर न्यायालय के निर्णय की पालना में आदेश दिनांक 21.04.2003 द्वारा बहक सरकार कब्जा जिससे लिया गया था, का राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद, उनके पक्ष में करते हुए वापस कब्जा सुपुर्दगी का आदेश दिया जाता है। उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय में विचाराधीन मूल सीलिंग रिमाण्ड प्रकरण 03/2006 में पारित होने वाले भावी आदेश के अध्यधीन रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, श्री विजयनगर को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 06.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/2/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।